संख्या-2031/69-1-98-59 (एन.आर.वाई.)/96

प्रेषक,

श्रीमती हेमलता ढौंडियाल,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : सूडा/डूडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत चिन्हित बाल श्रमिकों के परिवार के सदस्य को लाभान्वित करने से संबंधित कार्यकारी दिशा निर्देश।

महोदय,

भारतीय संविधान के भाग-3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में बाल मजदूरी प्रथा के विरुद्ध प्राविधान किये गये है, जिसके संरक्षण हेतु अनुच्छेद-32 के प्राविधान के अन्तर्गत एम.सी. मेहता बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एण्ड अन्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि-खतरनाक उद्योगों में चिन्हित बाल श्रमिकों के परिवारों के सक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार देने की दिशा में कारगर कदम उठाये जाए जिससे बाल मजदूरों प्रथा को समाप्त किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया है कि सूडा/डूडा द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित रोजगार एवं गरीबी उपशमन योजनाओं के अन्तर्गत चिन्हित बाल श्रमिकों के परिवारों में कम से कम एक वयस्क सदस्य को स्वरोजगार में स्थापित कर लाभान्वित कराये, जिससे वह अपने बच्चों को सेवायोजनों में लगाने के लिए बाध्य न हो तथा ऐसे परिवारों को लाभान्वित करके उनके परिवार की आय में वृद्धि के फलस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सकेगा।

2. शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धनतम परिवारों के कल्याण के लिए नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. द्वारा अनेक केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। दिनांक 01.12.97 से लागू स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्वतः रोजगार कार्यक्रम, कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डवाकुआ के अन्तर्गत शहरी निर्धन व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान और कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

3. अतः राज्य नागर विकास अभिकरण के पत्रांक 310/239/तीन/98, दिनांक 03.2.98 तथा उपर्युक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्वतः रोजगार/प्रशिक्षण के अन्तर्गत चिन्हित बाल श्रमिकों के परिवारों के सक्षम सदस्य को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त सचिव